



# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2022/ 4622

दिनांक:- 10/11/2022

## —:कार्यवाही विवरण:—

**विषय:-** भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 12/2022 वीं बैठक दिनांक 09.11.2022 को आयुक्त महोदय, जोधपुर, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

### एजेण्डा संख्या 01:-

**विषय :-** भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 08/2022 वीं बैठक (जोन-उत्तर) दिनांक 08.09.2022 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

**निर्णय :-** समिति द्वारा विचार-विमर्श उपरांत गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

### एजेण्डा संख्या 02:-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.11.2022	उत्तर	दईजर	277 / 3	01.10.00 बीघा	आवासीय एकल
आवेदक	श्री महेन्द्रराम पुत्र श्री ताजाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम दईजर के खसरा संख्या 277 / 3 रकबा 01.10.00 बीघा में आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत प्रकरण में निम्नलिखित सूचनाएँ प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया:- 1. आवेदित भूमि के दक्षिण-पूर्व दिशा में स्थित कटाण मार्ग को निर्धारित किये जाने हेतु राजस्व/गूगल मानचित्र अनुसार लम्बाई बाबत टिप्पणी जोन स्तर से प्राप्त की जावे। 2. आवेदित भूमि को अनुमोदित योजना से उपलब्ध पहुँच मार्ग के संबंध में जोन स्तर पर पुनः परीक्षण किया जावे। 3. राजस्व मानचित्र अनुसार आवेदित भूमि की कटाण मार्ग से दूरी बाबत रिपोर्ट जोन से प्राप्त की जावे। 4. आवेदित भूमि के आस-पास स्थित खसरान् को गूगल मानचित्र पर सुपरइम्पोजिशन करते हुए संशोधित मानचित्र प्राप्त किये जावे। 5. आवेदित भूमि के पास स्थित रक्षा विभाग का क्षेत्र है अथवा बी.एस.एफ. का क्षेत्र है, के संबंध में कनिष्ठ अभियंता/जोन से टिप्पणी प्राप्त की जावे। उपरोक्त सूचनाएँ प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने हेतु सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया।				

### एजेण्डा संख्या 03:-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.11.2022	उत्तर	दईजर	269 / 3, 269 / 14	05.17.15 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री भंवरलाल पुत्र श्री फूलचन्द, श्री फूलचन्द पुत्र श्री दुर्गाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम दईजर के खसरा संख्या 269 / 3, 269 / 14 रकबा 05.17.15 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत प्रकरण में निम्नलिखित सूचनाएँ प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया:-				

<p>1. आवेदित भूमि के दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित मार्ग को 60 फीट निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे।</p> <p>2. मौका निरीक्षण के दौरान आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में एच.टी. लाईन गुजर रही है जबकि आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्रों में उक्त एच.टी. लाईन को दर्शाया नहीं गया है। अतः एच.टी लाईन की क्षमता एवम् एलाईमेंट को दर्शाते हुए संशोधित मानचित्र प्राप्त किये जावें।</p> <p>3. आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में वाणिज्यिक क्षेत्र नियमानुसार 6 प्रतिशत से अधिक प्रस्तावित किया गया है, जो कि अनुज्ञेय नहीं है। साथ ही मोबाईल टॉवर व ठोस कचरा संग्रहण का प्रावधान नहीं किया गया है। अतः आवेदक से उक्त का प्रावधान करते हुए संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावे।</p> <p>उपरोक्त सूचनाएँ प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने हेतु सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया।</p>
--

**एजेण्डा संख्या 04:-**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.11.2022	उत्तर	दईजर	145/1	11.04.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री रविन्द्र खींची पुत्र श्री गुलाबचन्द खींची, श्री अनिल झंवर पुत्र श्री गोरधनलाल झंवर, श्रीमती सुमन कंवर चौहान पत्नी श्री गोपालसिंह चौहान, श्रीमती संतोष भाटी पत्नी श्री नरेश भाटी, श्री देवेन्द्र कुमार भण्डारी पुत्र श्री गणपतलाल भण्डारी, KMCC POWER RENEWABLE PRIVATE LIMITED जरिये निदेशक श्री भगवानाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम दईजर के खसरा संख्या 145/1 रकबा 11.04.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक का मार्गाधिकार 60 फीट निर्धारित किया जावे। उपरोक्त सडक के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार को 60 फीट रखते हुए प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।</li> <li>2. आवेदित भूमि के सामने से कटाण मार्ग पर एल.टी लाईन गुजर रही है जिसकी क्षमता व स्थिति प्राप्त करते हुए नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर का प्रावधान किया जावे।</li> <li>3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।</li> <li>4. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे।</li> <li>5. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।</li> <li>6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li> <li>7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol>				

एजेण्डा संख्या 05:-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.11.2022	उत्तर	दईजर	232 / 2	10.08.13 बीघा में से 10.00.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री दिनेश चौधरी पुत्र श्री तेजाराम, श्री मोहन परिहार पुत्र श्री रणजीत सिंह, श्री रामचन्द्र पुत्र श्री गोकलराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम दईजर के खसरा संख्या 232 / 2 रकबा 10.08.13 बीघा में से 10.00.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि दईजर-नागौर मुख्य सडक पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर/ जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 200 फीट रखा जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।</li> <li>2. आवेदित भूमि में से एच.टी लाईन गुजर रही है जिसकी क्षमता व स्थिति प्राप्त करते हुए एच.टी लाईन के नीचे नियमानुसार सेफटी कॉरिडोर का प्रावधान किया जावें।</li> <li>3. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र पर अंकन कर प्राप्त किया जावें तथा जोन स्तर से जांच की जावें।</li> <li>4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।</li> <li>5. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें।</li> <li>6. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।</li> <li>7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।</li> <li>8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol>				

एजेण्डा संख्या 06:-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.11.2022	उत्तर	मण्डोर-प्रथम	1799 (नवीन खसरा संख्या 1799 / 2)	10.12 बीघा में से 8093.71 वर्गमीटर अर्थात् 05.00 बीघा	शैक्षणिक (सीनियर एवम् सीनियर सैकेण्डरी स्कूल) एकल
आवेदक	श्री ओंकार सिंह टाक पुत्र श्री विद्याधर टाक				
विषय:-	राजस्व ग्राम दईजर के खसरा संख्या 1799 (नवीन खसरा संख्या 1799 / 2) रकबा 10.12 बीघा में से 8093.71 वर्गमीटर अर्थात् 05.00 बीघा में शैक्षणिक (सीनियर एवम् सीनियर सैकेण्डरी स्कूल) एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रकरण में राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक दिनांक 22.09.2021 में लिये गये निर्णय अनुसार आवेदित भूमि के सामने सडक का मार्गाधिकार 100 फीट</li> </ol>				

	<p>रखा जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।</p> <p>2. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 18(25) नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावे एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे।</p> <p>3. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र पर अंकन कर प्राप्त किया जावे तथा जोन स्तर से जांच की जावे।</p> <p>4. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 22.06.2017 को जारी परिपत्र अनुसार संस्थागत प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किये जाने पर पट्टे में यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में उस क्षेत्र में यदि किसी सार्वजनिक उपयोग यथा पुलिस स्टेशन आदि स्थापित किये जाने के लिए भूमि की आवश्यकता होगी तो संबंधित संस्थान द्वारा 5 प्रतिशत सीमा तक निःशुल्क समर्पित किया जावे।</p> <p>5. प्राधिकरण द्वारा जारी भू-उपयोग परिवर्तन आदेश दिनांक 23.03.2022 में उल्लेखित शर्तों की पालना आवेदक स्तर से की जावे।</p> <p>6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</p>
--	--

**एजेण्डा संख्या 07:-**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.11.2022	उत्तर	मण्डोर-प्रथम	1799 (नवीन खसरा संख्या 1799/3)	10.12 बीघा में से 5769.28 वर्गमीटर अर्थात् 03.11 बीघा	ट्यूरिज्म यूनिट-होटल एकल
आवेदक	श्री ओंकार सिंह टाक पुत्र श्री विद्याधर टाक				
विषय:-	राजस्व ग्राम दर्ज़र के खसरा संख्या 1799 (नवीन खसरा संख्या 1799/3) रकबा 10.12 बीघा में से 5769.28 वर्गमीटर अर्थात् 03.11 बीघा में ट्यूरिज्म यूनिट-होटल एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रकरण में राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक दिनांक 22.09.2021 में लिये गये निर्णय अनुसार आवेदित भूमि के सामने सडक का मार्गाधिकार 100 फीट रखा जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।</li> <li>2. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 18(25) नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावे एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे।</li> <li>3. प्राधिकरण द्वारा जारी भू-उपयोग परिवर्तन आदेश दिनांक 23.03.2022 में उल्लेखित शर्तों की पालना आवेदक स्तर से की जावे।</li> <li>4. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र पर अंकन कर प्राप्त किया जावे तथा जोन स्तर से जांच की जावे।</li> <li>5. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12.04.2018 को जारी आदेश अनुसार 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र हेतु भूमि बाबत नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।</li> </ol>				

6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

**एजेण्डा संख्या 08:-**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.11.2022	उत्तर	मण्डोर-प्रथम	1932 / 48, 1934 / 48, 1935 / 48	07.13.00 बीघा	फार्म हाउस एकल
आवेदक	मैसर्स बसंत रजिस्टर्ड भागीदारी फर्म जरिये श्री विनय कुमार पुत्र श्री सुखवीर सिंह, श्री गौरव पुत्र श्री विनय कुमार				
विषय:-	राजस्व ग्राम मण्डोर-प्रथम के खसरा संख्या 1932 / 48, 1934 / 48, 1935 / 48 रकबा 07.13.00 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित कटाण मार्ग को 60 फीट निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार हेतु 60 फीट रखते हुए सडक मध्य से 30 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।</li> <li>2. आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में रास्ता राजस्व मानचित्र/जमाबंदी में नही होने के कारण आवेदक से संशोधित मानचित्र प्राप्त किये जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावे।</li> <li>3. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 18(25) नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावे एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे।</li> <li>4. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।</li> <li>5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li> <li>6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol>				

एजेण्डा संख्या 09:-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.11.2022	उत्तर	मण्डोर-प्रथम	2117 / 378	01.03.18 बीघा	व्यवसायिक (कॉम्प्लेक्स) एकल
आवेदक	श्री धनराज पुत्र श्री भोजराज				
विषय:-	राजस्व ग्राम मण्डोर-प्रथम के खसरा संख्या 2117 / 378 रकबा 01.03.18 बीघा में व्यवसायिक (कॉम्प्लेक्स) एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रकरण में पूर्व में दिनांक 12.05.2022 को बीपीसी (एल.पी.) में लिए गए निर्णय के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में आवेदक व अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों व दस्तावेजों के क्रम में पुनः परीक्षणोपरांत आवेदित भूमि के उत्तर व दक्षिण दिशा में सड़क का मार्गाधिकार न्यूनतम 30-30 फीट रखा जावे। सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।</li> <li>2. आवेदित भूमि के सामने स्थित 200 फीट सड़क मार्गाधिकार में किये गए निर्माण को हटाये जाने के उपरान्त ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे।</li> <li>3. शेष शर्तें पूर्वानुसार यथावत रहेगी।</li> </ol>				

एजेण्डा संख्या 10:-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.11.2022	उत्तर	मण्डोर-द्वितीय	117	43.09.00 बीघा में से 03.10.05 बीघा	व्यवसायिक (कॉम्प्लेक्स) एकल
आवेदक	श्री गोविन्दराम जनवानी पुत्र श्री किशनचन्द जनवानी				
विषय:-	राजस्व ग्राम मण्डोर-द्वितीय के खसरा संख्या 117 रकबा 43.09.00 बीघा में से 03.10.05 बीघा में व्यवसायिक (कॉम्प्लेक्स) एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों अनुसार आवेदित भूमि के स्वामित्व के संबंध में वाद विचाराधीन है। विचार-विमर्श उपरांत प्रकरण में विधिक राय प्राप्त की जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।				

एजेण्डा संख्या 11:-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.11.2022	उत्तर	मण्डोर-द्वितीय	117	43.09.00 बीघा में से 00.13.16 बीघा	पेट्रोल पम्प एकल
आवेदक	श्री रणजीत सिंह, श्री ओमाराम पुत्र श्री भोमाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम मण्डोर-द्वितीय के खसरा संख्या 117 रकबा 43.09.00 बीघा में से 00.13.16 बीघा में पेट्रोल पम्प एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों अनुसार आवेदित भूमि के स्वामित्व के संबंध में वाद विचाराधीन है। विचार-विमर्श उपरांत प्रकरण में विधिक राय प्राप्त की जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।				

एजेण्डा संख्या 12:-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.11.2022	उत्तर	मण्डोर-द्वितीय	72/5/1	01.10.00 बीघा	औद्योगिक एकल
आवेदक	श्रीमती उमा सोनी पत्नी श्री दिनेश कुमार सोनी, श्रीमती सुमन सोनी पत्नी श्री महेश सोनी				
विषय:-	राजस्व ग्राम मण्डोर-द्वितीय के खसरा संख्या 72/5/1 रकबा 01.10.00 बीघा में औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सेक्टर रोड नेटवर्क प्लान के अनुसार आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावे। साथ ही आवेदित भूमि के उत्तर व पूर्व दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार मौका स्थिति/मानचित्र प्रस्तावोंनुसार कमशः 64-68 फीट व 30 फीट रखा जावे। सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।</li> <li>2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से आवेदित भूमि पर प्रस्तावित उपयोग/प्रयोजन के संबंध में शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए व पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।</li> <li>3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।</li> <li>4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li> <li>5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol>				

एजेण्डा संख्या 13:-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.11.2022	उत्तर	माणकलाव	305/1	24.10.00 बीघा में से 01.12.00 बीघा	पेट्रोल पम्प एकल
आवेदक	श्रीमती अरुणा पुरोहित पत्नी श्री अशोक पुरोहित				
विषय:-	राजस्व ग्राम माणकलाव के खसरा संख्या 305/1 रकबा 24.10.00 बीघा में से 01.12.00 बीघा में पेट्रोल पम्प एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि रिंग रोड पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 90 मीटर रखा जावे। साथ ही राजस्थान (जोधपुर) भवन विनियम-2020 अनुसार सड़क मार्गाधिकार के पश्चात् न्यूनतम 10 मीटर भूमि बफर हेतु छोड़ी जावे एवम् इस 10 मीटर बफर में न्यूनतम 6 मीटर भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।</li> <li>2. आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में प्रार्थी के स्वामित्व की भूमि में भवन निर्मित है। जोन द्वारा अवगत करवाया गया है कि उक्त भवन आवेदित भूमि की सीमा से 30 मीटर के बाहर एवम् 50 मीटर के मध्य स्थित है। अतः भविष्य में उक्त भवन में आवासीय</li> </ol>				

	<p>गतिविधिया संचालित नहीं की जावेगी, के संबंध में आवेदक से शपथ पत्र प्राप्त किया जावे। साथ ही PESO तथा MORTH द्वारा निर्धारित नॉर्म्स की सम्पूर्ण पालना किये जाने के संबंध में आवेदक से शपथ पत्र प्राप्त किया जावे। उक्त निर्माण को हटाये जाने के उपरान्त ही जोन उपायुक्त द्वारा पट्टा विलेख जारी किया जावे।</p> <p>3. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 18(25) नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावे एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे।</p> <p>4. आवेदक द्वारा प्रस्तुत पी.टी सर्वे मानचित्र में दर्शाये अनुसार आवेदित भूमि के दक्षिण-पश्चिम दिशा में गुजर रही 220 के.वी की एच.टी. लाईन के सेप्टी कॉरीडोर एवम् सडक मार्गाधिकार से आवेदित भूमि प्रभावित नहीं होने की सुनिश्चितता की जावे।</p> <p>5. जमाबंदी से अधिक क्षेत्रफल की भूमि के स्वामित्व की जांच कर जोन स्तर से नियमानुसार राशि लिए जाने की कार्यवाही की जावे।</p> <p>6. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र पर अंकन कर प्राप्त किया जावे तथा जोन स्तर से जांच की जावे।</p> <p>7. राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड/संबंधित विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन की पूर्ण पालना की जावे।</p> <p>8. प्रार्थी से संबंधित एजेन्सी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/पी.डब्ल्यू.डी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किया जावे जिसकी सुनिश्चितता पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व जोन स्तर पर की जावे।</p> <p>9. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।</p> <p>10. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>11. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</p>
--	--

**एजेण्डा संख्या 14:-**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.11.2022	उत्तर	माणकलाव	540	02.08.00 बीघा	फार्म हाउस एकल
आवेदक	श्री राहुल कण्डारा पुत्र श्री गौतम कण्डारा				
विषय:-	राजस्व ग्राम माणकलाव के खसरा संख्या 540 रकबा 02.08.00 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <p>1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया है कि आवेदित भूमि के दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित मार्ग पर पूर्व में 60 फीट सडक मार्गाधिकार आरक्षित करते हुए कमिटमेंट किया गया है। अतः उक्त सडक का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावे। साथ ही आवेदित भूमि के उत्तर-पश्चिम दिशा में स्थित मार्ग का मार्गाधिकार 60 फीट निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार हेतु 60 फीट रखते हुए सडक मध्य से 30 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी</p>				



	<p>किया जावें। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।</p> <p>2. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।</p> <p>3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।</p> <p>4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</p>
--	--

**एजेण्डा संख्या 15:-**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.11.2022	उत्तर	माणकलाव	126 / 7 / 2	रकबा 01.00.00 बीघा	पैट्रोल पम्प एकल
आवेदक	श्री बाबुलाल टाक पुत्र श्री चुन्नीलाल टाक, श्री जेठाराम पुत्र श्री रामचन्द्र गहलोत				
विषय:-	राजस्व ग्राम माणकलाव के खसरा संख्या 126 / 7 / 2 रकबा 01.00.00 बीघा में पैट्रोल पम्प एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत प्रकरण में कोई नवीन तथ्य नहीं होने के कारण दिनांक 25.11.2021 को आयोजित बीपीसी (एल. पी.) की बैठक में लिए निर्णय को यथावत रखते हुए प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।				

**एजेण्डा संख्या 16:-**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.11.2022	उत्तर	कडवड	153, 154, 213	रकबा 61.15.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री भंवरलाल मेघवाल पुत्र श्री भीकाराम मेघवाल, श्री सुरेश पुत्र श्री रोशन, श्री आलमसिंह पुत्र श्री खयालीराम, श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नी श्री राजू मीणा				
विषय:-	राजस्व ग्राम कडवड के खसरा संख्या 153, 154, 213 रकबा 61.15.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत प्रकरण में निम्नलिखित सूचनाएँ प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित राजस्व मार्ग का मार्गाधिकार 100 फीट निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें।</li> <li>2. आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में स्थित नाले के सहारे 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 फीट सड़क का प्रावधान किया जाकर संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावें।</li> <li>3. आवेदित भूमि में से विद्युत लाईन गुजर रही है जिससे मानचित्र में दर्शाया नहीं गया है। साथ ही मानचित्र में ई.डब्ल्यू.एस/एल.आई.जी.एच भूखण्डों का क्षेत्रफल विकय</li> </ol>				

	<p>योग्य क्षेत्रफल का न्यूनतम आवश्यक 10 प्रतिशत से कम प्रस्तावित है। अतः उपरोक्त प्रावधानों की सुनिश्चितता करते हुए आवेदक से संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावे।</p> <p>4. आवेदक द्वारा पूर्व में खसरा संख्या 153, 154, 213, 213/2 रकबा 73.02.00 बीघा का रिसोर्ट हाउसिंग प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हेतु आवेदन किया गया था परन्तु वर्तमान में खसरा संख्या 153, 154, 213 रकबा 61.15.00 बीघा का आवासीय योजना प्रयोजनार्थ रूपान्तरण किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। अतः इस संबंध में आवेदक से क्षेत्रफल कम किये जाने के संबंध में स्पष्ट टिप्पणी प्राप्त की जावे। साथ ही जोन स्तर पर नियमानुसार संशोधित 90/क आदेश जारी किये जाने की कार्यवाही की जावे।</p> <p>5. आवेदित भूमि के आस-पास स्थित खसरान् को गूगल मानचित्र पर सुपरईम्पोजिशन करते हुए संशोधित मानचित्र प्राप्त किये जावे।</p> <p>उपरोक्त सूचनाएँ प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने हेतु सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया।</p>
--	---

**एजेण्डा संख्या 17:-**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.11.2022	उत्तर	कडवड	425/मीन 4	10.00.00 बीघा में से 05.00.00 बीघा	फार्म हाउस एकल
आवेदक	श्रीमती कमला मीणा पत्नी श्रीफल मीणा, गुट्टी पुत्र श्री लोहडया				
विषय:-	राजस्व ग्राम कडवड के खसरा संख्या 425/मीन 4 रकबा 10.00.00 बीघा में से 05.00.00 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया है कि आवेदित भूमि के उत्तर व दक्षिण दिशा में स्थित मार्ग पर पूर्व में 60 फीट सडक मार्गाधिकार आरक्षित करते हुए कमिटमेंट किये गये है। अतः उक्त सडकों का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावे। साथ ही आवेदित भूमि के उत्तर-पूर्व दिशा में से मास्टर प्लान की प्रस्तावित सडक का अंकन किया जावे। सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।</li> <li>2. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र पर अंकन कर प्राप्त किया जावे तथा जोन स्तर से जांच की जावे।</li> <li>3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।</li> <li>4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li> <li>5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol>				

**एजेण्डा संख्या 18:-**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.11.2022	उत्तर	नेतडा	384, 384/1	रकबा 01.06.18 बीघा	पेट्रोल पम्प एकल

आवेदक	श्री गोपाराम विश्‍नोई पुत्र श्री जेठाराम विश्‍नोई, श्री सुनील विश्‍नोई पुत्र श्री गोपाराम विश्‍नोई
विषय:-	राजस्व ग्राम नेतडा के खसरा संख्या 384, 384/1 रकबा 01.06.18 बीघा में पैट्रोल पम्प एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि जोधपुर-नागौर मुख्य सडक पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 200 फीट रखा जावे। साथ ही राजस्थान (जोधपुर) भवन विनियम-2020 अनुसार सडक मार्गाधिकार के पश्चात् न्यूनतम 10 मीटर भूमि बफर हेतु छोडी जावे एवम् इस 10 मीटर बफर में न्यूनतम 6 मीटर भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड/संबंधित विभाग द्वारा जारी गाईडलाइन की पूर्ण पालना की जावे। 3. प्रार्थी से संबंधित एजेन्सी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/पी.डब्ल्यू.डी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किया जावे जिसकी सुनिश्चितता पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व जोन स्तर पर की जावे। 4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 19:-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.11.2022	उत्तर	रूपसर (नेतडा)	416/174	05.00.00 बीघा (8090 वर्गमीटर)	फार्म हाउस एकल
आवेदक	श्री सुखाराम पुत्र श्री मांगीलाल				
विषय:-	राजस्व ग्राम रूपसर (नेतडा) के खसरा संख्या 416/174 रकबा 05.00.00 बीघा (8090 वर्गमीटर) में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. प्रकरण में पूर्व में दिनांक 09.12.2021 को बीपीसी (एल.पी.) में लिए गए निर्णय के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के क्रम में तथा गूगल मानचित्र अनुसार प्रश्नगत सडक की लम्बाई लगभग 1.6 कि.मी. के दृष्टिगत पुनः परीक्षणोपरांत आवेदित भूमि के उत्तर-पश्चिम दिशा में स्थित सडक का मार्गाधिकार 60 फीट निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार हेतु 60 फीट रखते हुए सडक मध्य से 30 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. शेष शर्तें पूर्वानुसार यथावत रहेगी।				

एजेण्डा संख्या 20:-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.11.2022	उत्तर	उजलिया	76, 79 / 1	34.11.00 बीघा	फार्म हाउस एकल
आवेदक	सुश्री पूजा पुत्री श्री चैनाराम, श्री जसवन्तसिंह कच्छवाहा पुत्र श्री संतोषसिंह कच्छवाहा				
विषय:-	राजस्व ग्राम उजलिया के खसरा संख्या 76, 79 / 1 रकबा 34.11.00 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक द्वारा दिनांक 26.04.2022 को पंजीकृत शपथ-पत्र/सहमति पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक का मार्गाधिकार 100 फीट निर्धारित किया जावे। उपरोक्त सडक के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार को 100 फीट रखते हुए प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।</li> <li>2. प्रारूप-7 अनुसार आवेदित भूमि में से गुजर रही विद्युत लाईन की क्षमता व स्थिति प्राप्त करते हुए नियमानुसार सेपटी कॉरिडोर का प्रावधान किया जावे।</li> <li>3. आवेदित भूमि के स्वामित्व व गूगल मानचित्र अनुसार आवेदित भूमि की सीमा के मिलान के संबंध में जोन स्तर पर सुनिश्चितता उपरांत अग्रिम कार्यवाही की जावे।</li> <li>4. आवेदित भूमि का पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व अनुमोदित ले-आउट प्लान के भूखण्ड की मौका स्थिति अनुसार प्रमाणीकरण की सुनिश्चितता की जावे।</li> <li>5. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।</li> <li>6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li> <li>7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol>				

एजेण्डा संख्या 21:-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.11.2022	उत्तर	आंगणवा	201 / 5	11.10.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री आशीष चौधरी पुत्र श्री रामनिवास, श्री लक्ष्मणराम पुत्र श्री भीयाराम, श्रीमती सरोज सारण पत्नी श्री चन्द्रप्रकाश				
विषय:-	राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 201 / 5 रकबा 11.10.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत प्रकरण में निम्नलिखित सूचनाएँ प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>01. मास्टर प्लान की प्रस्तावित 100 फीट चौड़ी सडक की क्रियान्विति हेतु प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में अनुमोदित ले-आउट प्लान</li> </ol>				

<p>में दर्शित 100 फीट चौड़ी सड़क एवम् दक्षिण दिशा में मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 की 100 फीट चौड़ी सड़क को जोड़ने हेतु नियोजन की दृष्टि से प्रस्तावित संशोधित सड़क एलाईमेंट (खसरा संख्या 201/5 एवम् 201/6) के संबंध में जोन स्तर से आपत्ति आमंत्रित किये जाने हेतु विज्ञप्ति जारी की जावें।</p> <p>02. खसरा संख्या 201/6 के आवेदक से सड़क के एलाईमेंट के संबंध में लिखित में सहमति प्राप्त की जावें।</p> <p><b>उपरोक्त सूचनाएँ प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने हेतु सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया।</b></p>
--

**एजेण्डा संख्या 22:-**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.11.2022	उत्तर	सिन्धियों की ढाणी	255/5	7608 वर्गमीटर	कृषि आधारित उद्योग एकल
<b>आवेदक</b>	श्रीमती सीमा परिहार पत्नी श्री मनोहरलाल				
<b>विषय:-</b>	राजस्व ग्राम सिन्धियों की ढाणी के खसरा संख्या 255/5 रकबा 7608 वर्गमीटर में कृषि आधारित उद्योग एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
<b>निर्णय:-</b>	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि के सामने 60 फीट सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।</li> <li>2. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 18(25) नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावें एवम् सैटबैक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें।</li> <li>3. जमाबंदी से अधिक क्षेत्रफल की भूमि के स्वामित्व की जांच कर जोन स्तर से नियमानुसार राशि लिए जाने की कार्यवाही की जावें।</li> <li>4. आवेदक से आवेदित भूमि पर प्रस्तावित उपयोग/प्रयोजन के संबंध में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व जिला उद्योग केन्द्र/संबंधित विभाग से रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित उपयोग/प्रयोजन के संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए व पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें।</li> <li>5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।</li> <li>6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।</li> <li>7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol>				

**एजेण्डा संख्या 23:-**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.11.2022	उत्तर	सुरपुरा	54/1	08.01.00 बीघा	आवासीय योजना

आवेदक	श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री जयसिंह
विषय:-	राजस्व ग्राम सुरपुरा के खसरा संख्या 54/1 रकबा 08.01.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट निर्धारित किया जावे। उपरोक्त सड़क के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सड़क मार्गाधिकार को 60 फीट रखते हुए प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।</li> <li>2. आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में मास्टर डवलपमेंट प्लान की 200 फीट चौड़ी सड़क से प्रभावित नही होने की सुनिश्चितता उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे।</li> <li>3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।</li> <li>4. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे।</li> <li>5. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।</li> <li>6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li> <li>7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol>

एजेण्डा संख्या 24:-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.11.2022	उत्तर	गोविन्दपुरा	2841, 2841/1	08.03.00 बीघा में से 06.13.00 बीघा	फार्म हाउस एकल
आवेदक	श्री आसुराम पुत्र श्री रामुराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम गोविन्दपुरा के खसरा संख्या 2841, 2841/1 रकबा 08.03.00 बीघा में से 06.13.00 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट निर्धारित किया जावे। उपरोक्त सड़क के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सड़क मार्गाधिकार को 60 फीट रखते हुए प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।</li> <li>2. आवेदित भूमि में से गुजर रही विद्युत लाईन की क्षमता व स्थिति प्राप्त करते हुए नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर का प्रावधान किया जावे।</li> <li>3. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र पर अंकन कर प्राप्त किया जावे तथा जोन स्तर से जांच की जावे।</li> </ol>				

4.	राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।
5.	उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6.	प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

**एजेण्डा संख्या 25:-**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.11.2022	उत्तर	गुजरावास खुर्द	213/3	05.07.00 बीघा में से 04.09.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री सुरेश ताराचन्द गुन्देचा पुत्र श्री ताराचन्द गुन्देचा				
विषय:-	राजस्व ग्राम गुजरावास खुर्द के खसरा संख्या 213/3 रकबा 05.07.00 बीघा में से 04.09.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 48 मीटर सडक, एल.टी लाईन तथा सर्कुलेशन सही दर्शाते हुए संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने हेतु सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया।				

**एजेण्डा संख्या 26:-**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.11.2022	उत्तर	आंगणवा	160/1, 160/2	07.07.10 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री बद्रीनारायण पुत्र श्री माणकलाल, श्रीमती गीता पत्नी श्री आसुलाल, श्री नारायणलाल राखेचा पुत्र श्री किशन, श्री श्यामसुन्दर पुत्र श्री भगवानराम, श्री प्रेमराम पुत्र श्री देवीलाल, श्री दिकेश दैया पुत्र श्री मोतीलाल, श्री राजेन्द्र दैया पुत्र श्री परमसुख, श्री गायत्री दहिया पुत्री श्री अचलाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 160/1, 160/2 रकबा 07.07.10 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत प्रकरण में निम्नलिखित सूचनाएँ प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया:- 1. प्रकरण में आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग के संबंध में जोन स्तर पर पुनः परीक्षण किया जावे। 2. आवेदित भूमि के स्वामित्व के संबंध में जोन स्तर पर पुनः परीक्षण किया जावे। उपरोक्त सूचनाएँ प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने हेतु सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया।				

**एजेण्डा संख्या 27:-**


बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन

09.11.2022	उत्तर	मथानिया- द्वितीय	876/9. 876/10	1700 वर्गमीटर	लघु उद्योग एकल
आवेदक	श्री पुखराज पुत्र श्री बाबुलाल				
विषय:-	राजस्व ग्राम मथानिया-द्वितीय के खसरा संख्या 876/9, 876/10 रकबा 1700 वर्गमीटर में लघु उद्योग एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत प्रकरण में निम्नलिखित सूचनाएँ प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रकरण में आवेदित भूमि को मुख्य सडक से पहुँच मार्ग उपलब्धता के संबंध में जोन स्तर पर पुनः परीक्षण किया जावे।</li> <li>2. आवेदित भूमि में से गुजर रही विद्युत लाईन की क्षमता व स्थिति प्राप्त की जावे।</li> </ol> <p>उपरोक्त सूचनाएँ प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने हेतु सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया।</p>				

**एजेण्डा संख्या 28:-**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.11.2022	उत्तर	पूजला	34/1 मीन	01.00.00 बीघा	आवासीय एकल
आवेदक	श्री विनित गहलोत पुत्र श्री हंसराज गहलोत				
विषय:-	राजस्व ग्राम पूजला के खसरा संख्या 34/1 मीन रकबा 01.00.00 बीघा में आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक का मार्गाधिकार 60 फीट निर्धारित किया जावे। उपरोक्त सडक के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार को 60 फीट रखते हुए प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।</li> <li>2. आवेदित भूमि में से गुजर रही विद्युत लाईन की क्षमता व स्थिति प्राप्त करते हुए नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर का प्रावधान किया जावे।</li> <li>3. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 18(25) नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावे एवम् सैटबैक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे।</li> <li>4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।</li> <li>5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li> <li>6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol>				

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
 उप नगर नियोजक (प्रथम)  
 एवं सदस्य सचिव



क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2022/ 6623-4128 दिनांक:- 10/11/22

प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त उत्तर, जो.वि.प्रा., जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

उप नगर नियोजक (प्रथम)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

परिशिष्ट-“1”

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 12/2022 वीं बैठक दिनांक 09.11.2022 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- |   |            |
|---|------------|
| 1. श्री नवनीत कुमार, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर।                       | अध्यक्ष    |
| 2. श्री जय नारायण मीणा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर।                       | सदस्य      |
| 3. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।        | सदस्य      |
| 4. श्री महेन्द्र सिंह पंवार, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य      |
| 5. श्री श्रवण विश्‍नोई, उपायुक्त (उत्तर) जो.वि.प्रा. जोधपुर             | सदस्य      |
| 6. श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।                | सदस्य सचिव |

उप नगर नियोजक (प्रथम)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर